

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०।

लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक 10 सितम्बर, 2015

विषय:- वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 30 अगस्त, 2013 के अनुसार नगरीय स्थानीय निकाय के सविदा सफाई कर्मचारियों की सविदा धनराशि पुनरीक्षित की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के कार्यान्वयन के संबंध में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-562/दस-54 (एम) 2008 टी०सी०, दिनांक 30 अगस्त, 2013 के क्रम में शासनादेश संख्या-1081/9-1-14-466 सा/2013, दिनांक 31 जुलाई, 2014 द्वारा उक्त प्राविधानों के अनुसार सविदा पर नियुक्ति सफाई कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन का न्यूनतम तथा उस पर राज्य कर्मचारियों को समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते के समान धनराशि को जोड़ते हुए सविदा पुनरीक्षित धनराशि पर आने वाले व्यय-भार को निकाय अपने स्रोतों से वहन करने का प्रस्ताव संबंधित निकाय बोर्ड/सदन से पारित करने के उपरान्त भुगतान की स्वीकृति हेतु शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिया गया था। उक्त के अनुक्रम में शासन में प्राप्त प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में उल्लिखित 16 (मात्र सोलह) नगरीय स्थानीय निकायों में कार्यरत सविदा सफाई कर्मचारियों को पुनरीक्षित पारिश्रमिक दिये जाने पर आने वाले व्यय-भार को निकायों द्वारा अपने स्रोतों से वहन करने का प्रस्ताव बोर्ड/सदन से पारित करके उपलब्ध कराया गया है।

2 उक्त संलग्न सूची में उल्लिखित 16 (मात्र सोलह) निकायों के सविदा सफाई कर्मचारियों को पद का अनुमन्य वेतन बैंड रु०5200-20200 में न्यूनतम वेतन रु०5200/- एवं ग्रेड वेतन रु०1800/- तथा उस पर समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते के समान धनराशि को जोड़ते हुए तात्कालिक प्रभाव से सविदा धनराशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते/वेतन वृद्धि/सुविधा अनुमन्य नहीं होगा।

3. कृपया उक्त के संबंध में अपने स्तर से संबंधित निकायों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)

सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्न सूची के अनुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिलाधिकारी संलग्न सूची में अंकित संबंधित जनपद के अनुसार (द्वारा-निदेशक, स्था.निकाय, उ०प्र०.) लखनऊ।

2. संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत संलग्न सूची के अनुसार (द्वारा-निदेशक, स्था.निकाय, उ०प्र०.) लखनऊ।

आज्ञा से,


(सुधीर सिंह चौहान)

संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या-3552 (1)/9-1-15-466सा/2013, टीसी दिनांक 10 सितम्बर, 2015 का संलग्नक।
नगरीय स्थानीय निकायों के नाम:-

क्रम	निकाय का नाम/जनपद	सदन/बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव की तिथि
1	नगर पालिका परिषद बिल्हौर, कानपुर नगर।	24-06-2015
2	नगर पालिका परिषद फतेहपुर, फतेहपुर।	31-07-2015
3	नगर पालिका परिषद जलालपुर, अम्बेडकरनगर।	16-7-2015
4	नगर पालिका परिषद बागपत, बागपत।	21-03-2015
5	नगर पालिका परिषद पिहानी, हरदोई।	30-06-2015
6	नगर पंचायत सहपऊ, हाथरस।	01-08-2015
7	नगर पंचायत मेंहनगर, आजमगढ़।	14-07-2015
8	नगर पंचायत खरगूपुर, गोण्डा।	13-08-2015
9	नगर पंचायत अमीनगर सराय, बागपत।	02-01-2015
10	नगर पंचायत घुघली, महाराजगंज।	30-05-2015
11	नगर पंचायत बहादुरगंज, गाजीपुर।	22-04-2015
12	नगर पंचायत पुरदिल नगर, हाथरस।	08-06-2015
13	नगर पंचायतद खुटार, शाहजहांपुर।	07-04-2015
14	नगर पंचायत मानिकपुर, चित्रकूट।	31-07-2015
15	नगर पंचायत निचलौल, महाराजगंज।	02-07-2015
16	नगर पंचायत जलाली, अलीगढ़।	30-05-2015

(कुल सोलह मात्र निकाय)


(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।